फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री नरेन्द्र सिंह पिता श्री जैत सिंह नि. ग्राम व पो. काछबली (मामावड़) जिला राजसमन्द

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द – प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 67/2023**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 09.10.2023 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये क्रमांकः एफ. 1( )सू0अ0,05/2023/674 दिनांक 13.09.2023 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना का आवेदन पत्र दिनांक 11.07.2023 को सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत कार्यालय को 11.07.2023 को प्राप्त हुआ है। प्रार्थी अपीलार्थी के आवेदन में इप्सित सूचना का संबंध कार्यालय के न्याय अनुभाग से होने से इस कार्यालय द्वारा प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग को पत्रांक 523 दिनांक 1.07.2023 से प्रेषित किया गया। प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग के पत्रांक 5279 दिनांक 18.07.2023 से अवगत कराया की आवेदन पत्र में वांछित सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 एच व 2(ञ) में प्रावधित सूचना ही उपलब्ध कराने के प्रावधान है एवं प्रार्थी द्वारा इप्सित सूचना प्रश्नात्मक सूचना की श्रेणी में है। अतः अपीलार्थी को निश्चित समयावधि में इस कार्यालय के पत्रांक 550 दिनांक 20.07.2023 से जरिये डाक प्रार्थी अपीलार्थी को सूचित किया गया है। उक्त पत्रांक के संबंध में अपीलार्थी द्वारा जवाब पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली हैं। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना अपीलार्थी को निश्चित समयावधि में इस कार्यालय के पत्रांक 550 दिनांक 20.07.2023 से	

न्यायालय जिला कलक्टर

जरिये डाक प्रार्थी अपीलार्थी को सूचित किया गया। अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित रिकार्ड का अवलोकन कर नियमानुसार वांछित सूचना प्राप्त करें। अतः उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद